परिपत्र संख्या 02/2019

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ–7(42)जन/2018–19/विविध/1682 दिनांक : 29/01/19

–:: परिपत्र ::–

राज्य अधिसूचना कमांक एफ.4(10)एफ.डी./टैक्स–डिवी/02–178 दिनांक 13.02.2003 से कोटा, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर में रीको द्वारा विकसित किए गए एग्रो फूड पार्क में औद्योगिक यूनिट की स्थापना करने के संबंध में भूमि और सम्पत्ति के विकय एवं कय के दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क की पूर्ण रियायत दी गई थी।

सी.ए.जी.प्रतिवेदन 2011–12 के लिए हुई जनलेखा समिति की बैठक दिनांक 27.11.2017 में जनलेखा समिति 2018–19 के 296वें प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 5.16 सिफारिश संख्या 23 में मुद्रांक कर में दी गई अनियमित छूट के संबंध में आक्षेप गठित किया गया। जिसके तहत आक्षेपित किया गया कि कोटा, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर में रीको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क में औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु भूखण्डों तथा सम्पत्ति को कय/विकय करने हेतु निष्पादित दस्तावेजों पर अधिसूचना की मंशा के विपरीत 100 प्रतिशत की रियायत दे दी गई।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 13.02.2003 के द्वारा दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायत के संबंध में शासन उप सचिव, वित (राजस्व) विभाग द्वारा पत्रांक प.2(37)वित/कर/2011 दिनांक 12.12.2013 के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया कि **"अधिसूचना कमांक एफ.4(10)एफ.डी./टैक्स–डिवी/02–178 दिनांक13.02.2003 के तहत भूखण्ड/भवनों के कय/विकय के प्रथम दस्तावेजों पर मुद्रांक शुल्क की रियायत/छूट देय है। पश्चात्वर्ती हस्तान्तरणों पर इस अधिसूचना के तहत छूट का लाभ देय नहीं है।"**

राज्य सरकार से प्राप्त उपरोक्त मार्गदर्शन में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा समस्त उप महानिरीक्षकों को पत्रांक एफ.7(67)जन/11–12/1826–1838 दिनांक 13.01.2014 जारी किया गया तथा अपने वृत के समस्त उप पंजीयकों को अपने स्तर से भी इस विषयक आवश्यक निर्देश प्रदान करने हेतु भी सूचित किया गया।

अतः उपरोक्त के संबंध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि कोटा, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर में रीको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क में औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए कय की जाने वाली भूमि/सम्पत्ति के विकय/कय के प्रथम दस्तावेज पर ही उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 13.02.2003 के अनुसार ही मुद्रांक शुल्क की रियायत दिया जाना सुनिश्चित करें।

भविष्य में इस प्रकार के मामलों में अनियमित तरीके से मुद्रांक शुल्क की छूट दिया जाना पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध जानबूझकर राजस्व अपवंचना करने के संबंध में कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(रेणू जयपाल)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक : एफ.7(42)जन/2018–19/विविध/ 1683-2332 दिनांक : 29/01/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित भवन, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. कार्यालय महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षैत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर–302005।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर को उनके यू.ओ.नोट कमांक एफ.6(981)पी.ए.सी.2011–12 सिफारिश/296वां प्रति./2018–19/1177 दिनांक 28.11.2018 के संदर्भ में।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लाक–डी वित भवन जयपुर।
9. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान।
10. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
11. संयुक्त विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
12. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

महानिरीक्षक